डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय हवाई पट्टी, मेरठ के लिए भूमि अधिग्रहण के सन्दर्भ में विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 16 अप्रैल, 2018 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. सुश्री निशा अनन्त, एस0डी0एम0, मेरठ सदर ।
2. श्री रणविजय प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र बराल परतापुर, मेरठ ।
3. श्री अनिल कुमार, लेखपाल, क्षेत्र काशी, मेरठ ।
4. श्री सतेन्द्र कुमार, लेखपाल, क्षेत्र गगोल, मेरठ ।
5. श्री प्रशान्त श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय हवाई पट्टी, मेरठ ।

बैठक में विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय हवाई पट्टी, मेरठ के निर्माण हेतु पूर्व में क्रय/अधिग्रहीत की गई भूमि के सम्बन्ध यह जिज्ञासा की गई कि भूमि अधिग्रहण के समय सर्किल रेट क्या था? तथा क्या भूमि आपसी समझौते से क्रय/अधिग्रहीत की गई है। हवाई पट्टी हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 34.8 हैक्टेयर है। इनमें से अब तक कुल कितनी भूमि आपसी समझौते से क्रय की जा चुकी है।

2- बैठक में उपस्थिति अधिकारी द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि अब तक कुल 18.601 हैक्टेयर भूमि का क्रय/अधिग्रहण/पुर्नग्रहण किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में सात वाद योजित किए गए थे, जिसमें से एक का निस्तारण हो गया है। जो वाद निस्तारित हो गया है उसमें 600 मीटर भूमि विरासत मामले से सम्बन्धित है।

3- बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि वन विभाग की 12.27 हैक्टेयर भूमि जो हवाई पट्टी के मध्य में पड़ रही है, को खरीदने/नामान्तरण हेतु समतुल्य भूमि मेरठ विकास प्राधिकरण से वर्ष 2014 में बैनामा के जरिए खरीदी गई जिसे दिनांक 08.07.2014 को वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

4- क्रय/अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का बैनामा आदि किए जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक भास्कर, अस्सिटेन्ट टाउन प्लानर, मेरठ विकास प्राधिकरण को नोडल अधिकारी नामित किया गया था। बैठक में उपस्थित श्री रणविजय प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक, मेरठ द्वारा बताया गया कि नामित किए गए नोडल अधिकारी का स्थानान्तरण लगभग एक वर्ष छः माह पूर्व मुरादाबाद हो गया है और उनके द्वारा अभी तक कोई कागजात अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए गए है।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- बैठक में निम्न निर्देश दिए गए:-

(अ) नामित किए गए नोडल अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त नया नोडल अधिकारी नामित किए जाने का प्रस्ताव निदेशालय द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाए।

(ब) कृषकों की 14 हैक्टेयर भूमि में से 10 हैक्टेयर भूमि ली जा चुकी है। उसमें अभी गेहूँ की फसल लगी है। यह निर्देश दिया गया कि गेहूँ की फसल कटने के पश्चात् अधिग्रहीत की गई भूमि पर कृषकों द्वारा पुन: उस भूमि पर कृषि कार्य न किया जाए। कृषकों की जो भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है उसमें वायर-फेन्सिंग कराने के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन को यह निर्देश दे दिए जाए कि वे लोक निर्माण विभाग से वायर-फेन्सिंग पर आने वाले व्यय का ऑकलन करा कर कार्यवाही कराएं।

(स) जितनी भूमि खरीदी गई है, वह हवाई पट्टी के मास्टर प्लान के अन्दर है अथवा नहीं? यह देख लिया जाए। साथ ही क्रय हेतु अवशेष भूमि प्रस्तावित हवाई पट्टी/रनवे के मास्टर प्लान के बाहर न हो।

(द) मेरठ हवाई पट्टी एवं रनवे हेतु उपलब्ध मास्टर प्लान मैप के अनुसार भूमि का मूल्यांकन कर लिया जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि सम्प्रति कितना अन्तर आ रहा है। आज की स्थिति में जितनी भूमि बची है, उसी को क्रय करना है। यदि कोई भूमि अधिक है तो उसे कम किया जाए।

(म) भूमि का विवरण यथा गांव का नाम/गाटा संख्या/कुल रकबा/हवाई पट्टी हेतु चिन्हित भूमि का रकबा उपलब्ध कराया जाए। जिसमें यह भी स्पष्ट किया जाए कि भूमि राजस्व अभिलेखों में किस रूप में अंकित है। भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल 34.9 हैक्टेयर है अथवा 33.60 हैक्टेयर है?

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-44/2018/803/छप्पन-2018-06/016
लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिलाधिकारी, मेरठ।
2- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
3- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
4- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6- निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।